न्यायालय अपर समाहर्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–27 / 2021–22

भोला सिंह वगैरह बनाम राम प्रवेश सिंह वगैरह

Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
23.09.2021	**आदेश** प्रस्तुत वाद आवेदकगण ने भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 51 / 2018–19 में पारित आदेश दिनांक–22.01.2021 से बिक्षुब्ध होकर बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–8 के अन्तर्गत विपक्षीगण के विरूद्ध दाखिल किया है। वाद पंजीकृत कर वाद ग्रहण के बिन्दु पर सुना। आवेदकगण का मुख्य कथन है कि कोविड–19 के प्रकोप के कारण निम्न न्यायालय के द्वारा निश्चित तिथि को वाद में उपस्थिति होने में असमर्थ थे। लेकिन न्यायालय में वाद संचालन की कार्रवाई को सुचारू रखा। जिसके कारण आवेदकगण और उनके द्वारा मनोनीत अधिवक्ता वाद संचालन के दौरान उपस्थित नहीं हो सके। जिसके कारण निम्न न्यायालय में वाद के बिना गुण–दोष पर विचार किये ही अनुपस्थिति के कारण वाद खारिज कर दिया गया। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के अवलोकन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वाद के गुण–दोष पर बिना विचार किये हीं निम्न न्यायालय ने आवेदकगण के अनुपस्थिति के कारण वाद खारिज कर दिया। जो कानूनी दृष्टिकोण से न्यायोचित नहीं है। अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के दाखिल खारिज वाद सं0–51 / 2018–19 में पारित आदेश दिनांक–21.01.2021 को निरस्त करते हुए वाद को प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर को निर्देश दिया जाता है कि पक्षकारों को सूचना निर्गत कर वाद को विधिवत सुनवाई कर वाद को गुण–दोष के आधार पर मुखर आदेश पारित करें। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है। आदेश से बिक्षुब्ध पक्षकार सक्षम न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र है। वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है। **लेखापित एवं संशोधित।** ह0 / – (राजीव कुमार श्रीवास्तव) अपर समाहर्ता, पटना। ह0 / – (राजीव कुमार श्रीवास्तव) अपर समाहर्ता, पटना। ज्ञापांक – 915 दिनांक –25 / 09 / 2021 प्रतिलिपि :– भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर को सूचनार्थ एवं आदेश के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। 24/9/2021 अपर समाहर्ता, पटना।	